



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 874808



N'S Affixed Rs 10

(प्रारूप-“ब”)

समक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम शमशेर बहादुर सिंह पुत्र मणिराम सिंह अध्यक्ष एवं श्रीमती हेमलता पत्नी राम बचन सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सहमंत्री डॉ० रामप्रसन्न मणिराम सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गाम व पोस्ट सरायरासी, अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-


धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

- अ. डॉ० रामप्रसन्न मणिराम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सरायरासी, अयोध्या
ब. डॉ० रामप्रसन्न मणिराम सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सरायरासी, अयोध्या (प्रस्तावित)

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है-

क्रम संख्या	प्लॉट	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में।
1	2	3	4	5
1	सरायरासी, अयोध्या	356	0.2310 हे०	0.2310 हे०
2	सरायरासी, अयोध्या	357	0.1180 हे०	0.1180 हे०
3	सरायरासी, अयोध्या	358	0.0860 हे०	0.0860 हे०
4	सरायरासी, अयोध्या	362	0.0340 हे०	0.0340 हे०
5	सरायरासी, अयोध्या	363	0.0240 हे०	0.0240 हे०
6	सरायरासी, अयोध्या	368	0.6400 हे०	0.6400 हे०

(1)


Hemlata Singh

धारा-3 यह कि उपरोक्त अवका शिक्षण संस्थानों को निम्न विवरण के अनुसार हगारी सौसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है-

क्रम सं. या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या		कुल भूमि
				रकबा		
1	डॉ० रामप्रसन्न मणिराम सिंह इन्सालकोलर महाविद्यालय,	4.1413800	सरायरासी, अजमेर	118/118/153/8/153/1/153/1/300/12/19/23/34/63/64/65/34/104/4/1045/1046/1047/1048/1049/10/80/1051/1052/1053/1054/	6.2892380	6.2892380
2	डॉ० रामप्रसन्न मणिराम सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरी,	0.8099800	सरायरासी, अजमेर	356/357/358/362/363/368	0.8099800	0.8099800


धारा-4 यह कि उपरोक्त स्थिति संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारम्भ के समय ही है, एवं इसमें कालांतर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

धारा-5 यह कि उपरोक्त विवरण में निम्नवत् बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् है-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	कोई बदलाव नहीं।	-	4	5	6

धारा-6 यह कि भविष्य में यदि हगारी सौसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा-7 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हो अध्यक्ष

 हो सहस्रत्री

Identified By Sit
 08/09/23

